उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 18/2017/68/92-2-17-104जॉच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 12 जनवरी, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

बार्डर एरिया डेवलेपमेंट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एंव शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में गम्भीर अनियमितता बरतने तथा शासकीय क्षति पहुचाये जाने आदि अनियमितताओं के संबंध में शासन के पत्र संख्या-1866/92-1-16-104जांच/2013 दिनांक 23-04-2015 द्वारा श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम'-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया।

2- उक्त के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 20-11-2015, 22-02-2016, 20-06-2016 तथा 14-09-2016 द्वारा बार-बार अनुस्मरण कराये जाने के बाद भी श्री सिंह का स्पष्टीकरण शासन में प्राप्त न होने की दशा में शासन में उपलब्ध संगत अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :-

(अ) जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड-सिरसिया के ग्राम गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैसाही नाले पर 5.00x5.00 मी0 स्पान पुल का निर्माण बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-519/35-3-2012 दिनांक 17-10-2012 द्वारा स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत रू0 93.07 लाख थी। कार्य का विस्तृत आंगणन गठित करते समय पुल के कार्यस्थल का मृदा परीक्षण एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन नही किया गया था।

(ब) जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा गठित उच्च स्तरीय अधिकारियों की जॉच समिति के निरीक्षण के समय पुल के तीसरे पियर के अगले भाग पर बल्जिंग/उभार चिनाई कार्य में पाये गये। तीसरे [redacted] चिनाई में ईटों के रददो के ऊपर एवं नीचे क्रैक पाये गये तथा तिरछा दिखायी दिये। [redacted]0-03 क्षतिग्रस्त पाया गया, 01 इंच की दरार पायी गयी, कट आफ वाल का निर्माण एस्कवरिंग डेप्थ के अनुसार नही पाया गया। अनुबंध में पुल की फर्श का निर्माण एवं कट आफ वाल का निर्माण कार्य सम्मिलित नही था। इससे स्पष्ट है कि पुल में आवश्यक समस्त मदों को सम्मिलित नही किया गया था, अत: पियर सं0-03 क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें क्रैक आ गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपरोक्तानुसार भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर पुलिया निर्माण हेतु रू0 93.07 लाख का अनुबंध गठित करने में समस्त आवश्यक मदें सम्मिलित न करने के फलस्वरूप शासन को रू0 93.07 लाख की शासकीय क्षति हुई।

2- शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास बरगदहा गॉव में 3.00X5.00 मी0 स्पान की पुलिया के निर्माण हेतु अनुबंध गठन बिना कार्यस्थल का परीक्षण किये और न ही हाईड्रोलिक सर्वे जैसे-कैचमेन्ट एरिया का आंकलन किया गया, जिसके कारण आवश्यकता से काफी कम लम्बाई की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण हेतु अनुबंध गठित होने के फलस्वरूप उक्त पुलिया प्रथम बरसात की बाढ के समय ही बह गयी।

उक्तानुसार शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास आवश्यकता से काफी कम लम्बाई की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण हेतु अनुबंध गठित करने के फलस्वरूप रू0 18,78,901.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई।

उक्तानुसार श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा की गयी उक्त अनियमितताओं के लिए श्री सिंह की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए उन्हें निम्नवत **"परिनिन्दा"** प्रदान कर कारण बताओ नोटिस को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

" बार्डर एरिया डेवलपमेनट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एंव शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में जान बूझकर आवश्यक मदों को छोडने एवं कम स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया के अनुबंध गठन के फलस्वरूप रू0 93.07 लाख एवं रू0 18,78,901.00 की धनराशि की शासकीय क्षति हेतु श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर की सत्यनिष्ठा रोकते हुये उन्हे "परिनिन्दित" किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 18/2017/68/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री आर0पी0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-सहारनपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।